प्राचार्य का कार्यालय
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

आवश्यक सूचना

इस चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में अवस्थित सरकारी आवास/छात्रावास में अनाधिकृत रूप से रहने पदाधिकारी/कर्मचारी/छात्रो को सूचित किया जाता है कि आप यथाशीघ्र आवास/छात्रावास को खाली कर दें । अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण के क्रम में अनाधिकृत निवास करते हुए पायें जाने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों का पूर्ण काल का आवास किराया बाजार दर से कटौति करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी ।

अनाधिकृत रूप से रहने वाले छात्रो को सूचित किया जाता है कि, यदि आप इस कॉलेज के अध्ययनरत छात्र हैं, तो सरकारी नियमानुसार आवास आवंटित करा कर छात्रावास में रहना सुनिश्चित करें ।

विश्वस्त सुत्रो से यह भी ज्ञात हुआ है कि अन्यत्र कार्य करने वाले पदाधिकारी भी वर्तमान तक इस परिसर में सरकारी आवास/छात्रावास में अनाधिकृत रूप से रह रहें हैं, जो नियमानुकूल नही है । अतएव यथाशीघ्र आवास/छात्रावास खाली कर कॉलेज प्रशासन को सहयोग प्रदान करें ।

विदित हो कि इस चिकित्सा महाविद्यालय के अतिक्रमण से संबंधित याचिका माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विचाराधीन है । अनाधिकृत रूप से निवास करते हुए पायें जाने पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा सकती है ।

ह0/–
प्राचार्य

ज्ञापांकः– 1119/18   दिनांकः–24-4-18

प्रतिलिपिः–

1) जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2) प्रभारी प्राध्यापक (प्र0)/Estate Officer/ओ0एस0डी0, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।

3) संबंधित लिपिक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

4) आई0टी0 सेक्शन, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

5) कॉलेज सूचना पट्टट/छात्रावास सूचना पट्टट/आवास सूचना पट्टट ।

24/4/18
प्राचार्य
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर